

†ध्याय 12 बालक एवं कार्य

प्रस्तावना:

12.1 राष्ट्र के समक्ष बालश्रम की समस्या लगातार एक चुनौती के रूप में रही है। सरकार इस समस्या से निपटो के लिए विभिन्न उपाय करती रही है। तथापि इस समस्या की महत्ता और व्यापकता को समझते हुए इस तथ्य को जाते हुए कि यह अनिवार्य रूप से एक सामाजिक आर्थिक समस्या है जो निर्धनता और गिरक्षरता से विकट रूप से जुड़ी हुई है। इस समस्या से निपटो के लिए समाज के सभी वर्गों के अथक प्रयासों की आवश्यकता है।

12.1 (क) भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बालकों के लिए अनिवार्य सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ बालकों को आर्थिक गतिविधियों में एवं उनकी आयु के प्रतिकूल व्यवसायों में उलझने से बचाने के लिए श्रम संरक्षण का प्रबंध करने के लिए संगत उपबंधों को संविधान में सावधानी से समाविष्ट किया। हाल में संवैधानिक संशोधन के बाद 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार अब एक मूलभूत अधिकार हो गया है। बॉक्स 12.1 में विभिन्न संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं जिनका उद्देश्य बालकों को रोजगार से बचाना है।

संवैधानिक उपबंध	बाक्स 12.1
<p>†-अच्छेद 21 क शिक्षा का अधिकार राज्य, नियम द्वारा निर्धारित करके 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा।</p> <p>†-अच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। “गौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य जोखिमकारी नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।</p>	<p>†-अच्छेद 39 राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से :-</p> <p>१.) पुरुष और स्त्री कर्मचारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के प्रतिकूल हों।</p>

12.2 संवैधानिक उपबंधों के अनुकूल देश ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए आवश्यक सांविधिक प्रावधान भी बनाए हैं और विकासात्मक उपायों को कार्यान्वित किया है।

12.3 फिर भी, सरकार के प्रयासों के बावजूद निर्धनता एवं निरक्षरता के कारण बाल श्रम की समस्या अभी भी बरकरार है। वर्ष 2001 में भारत के महापंजीयक द्वारा दिए गए आँकड़ों के अनुसार, हमारे

देश में 1991 में 1.13 करोड़ की तुलना में वर्ष 2001 में कार्यरत बालकों (5-14 वर्ष) की संख्या 1.26 करोड़ थी। बाल श्रम जनसंख्या का राज्यवार आँकड़ा दर्शाता है कि देश में बाल श्रमिकों की संख्या उत्तर प्रदेश में (0.19 करोड़) सबसे अधिक है, इसके बाद आन्ध्रप्रदेश (0.14 करोड़), राजस्थान (0.13 करोड़) और बिहार (0.10 करोड़) में है। 90 प्रतिशत से अधिक बाल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैं जो कृषि एवं सम्बद्ध उद्योगों

जैसे जुताई, कृषि श्रम, पशुधन, वानिकी एवं मात्स्यिकी में कार्य करते हैं ।

कार्य पर बालकों के कानूनी संरक्षण

12.4 कारखानों, खानों एवं परिसंकटमय नियोजनों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के नियोजन को रोकना एवं अन्य नियोजनों में बालकों की कार्य स्थिति को नियंत्रित करना भारत सरकार की नीति है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। यह अधिनियम की अनुसूची के भाग - क एवं ख में सूचीबद्ध व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। यह अधिनियम अन्य नियोजनों जो बाल श्रम(प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रतिषेध नहीं हैं में बालकों की कार्यस्थिति को भी नियंत्रित करता है।

12.5 अधिनियम की अनुसूची में अन्य व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं के जोड़ने के प्रयोजन में केन्द्र सरकार को सलाह देने हेतु बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति (जोकि विशेषज्ञों का निकाय है) का गठन करने के लिए यह अधिनियम प्रबंध करता है। समिति में अध्यक्ष तथा अधिकतम 10 सदस्यों को केन्द्र सरकार नियुक्त करती है। तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिश पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान अधिनियम की अनुसूची में अंकित जोखिमपूर्ण व्यवसायों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गयी है तथा प्रक्रियाओं की संख्या 18 से बढ़कर 57 हो गई है।

12.6 बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को कार्यान्वित करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। राज्य में श्रम विभाग को अपने निरीक्षणालय तंत्र के जरिए प्रवर्तन करने का अधिकार है।

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति

12.7 नियोजन के विरुद्ध बालकों के संरक्षण के लिए प्रबंध किए गये संवैधानिक एवं कानूनी उपबंधों के अन्तर्गत सन 1987 में घोषित राष्ट्रीय बाल श्रम नीति में भी सम्मिलित किया गया था। नीति में बाल श्रम के जटिल मुद्दों को व्यापक, समग्र एवं एकीकृत ढंग से निपटाने के

बारे में बताया गया है। इस नीति के अंतर्गत कार्ययोजना बहुमुखी है और इसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :

i) वैधानिक कार्ययोजना ;

ii) बालकों के परिवार के हित में सामान्य विकास कार्यक्रमों के आयोजन पर ध्यान देना ; और

iii) ऐसे क्षेत्र जहां बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है, परियोजना पर आधारित कार्ययोजना।

12.8 इस नीति के अनुसरण में श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम (एन सी एल पी) को कार्यान्वित कर रहा है जोकि परियोजना आधारित कार्य योजना है। पहचाने गए खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्य कर रहे बालकों को रोजगार से वापस बुलाने एवं पुनर्वास करने के उद्देश्य के साथ- साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत , 7वीं योजना के दौरान 12 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं (एन सी एल पी) प्रारंभ की गई थीं। ये 12 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं आन्ध्रप्रदेश (जगमपेट एवं मार्कापुर), बिहार (गढ़वाह), मध्यप्रदेश (मंदसौर), महाराष्ट्र (थाणे), उड़ीसा (सम्बलपुर), राजस्थान (जयपुर), तमिलनाडु(शिवकाशी) एवं उत्तरप्रदेश (वाराणसी - मिर्जापुर - भदोही, मुरादाबाद, अलीगढ़ और फिरोजाबाद) में प्रारंभ की गई थीं।

12.9 बाद में, जोखिमपूर्ण व्यवसायों में कार्यरत बालकों को वापस बुलाने और विशेष विद्यालयों के जरिए उन्हें पुनर्वास करने का बृहद कार्यक्रम 15 अगस्त, 1994 को आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप 12 सतत् परियोजनाओं के अलावा 64 क्षेत्र - आधारित परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम को 13 राज्यों में 100 जिलों में विस्तारित किया गया था।

12.10 दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्यमान 100 बाल श्रम परियोजनाओं को निरंतर चलाने के लिए सरकार ने अनुमोदन दे दिया है। सरकार ने 150 अतिरिक्त बाल श्रम परियोजनाओं की स्थापना के लिए भी अनुमोदन दे दिया है। इसलिए, 10वीं पंचवर्षीय

योजना में स्कीम को 20 राज्यों के 250 जिलों में लागू किया जाएगा। सभी 150 अतिरिक्त जिलों को निर्धारित कर दिया गया है और नये निर्धारित जिलों में स्कीम का कार्यान्वयन करने के प्रयास पहले से ही किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत निर्धारित किए गए जिलों की सूची तालिका 12.1 में दी गई है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए व्यय को पिछली योजना अवधि की तुलना में रु. 250 करोड़ से रुपये 667 करोड़ तक बढ़ाया गया है (इण्डस परियोजना में श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंशदान सहित)।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन. सी. एल. पी.) स्कीम

12.11 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम केन्द्र क्षेत्र की योजना है। परियोजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर/जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तर पर स्कीम के अंतर्गत परियोजना सोसाइटी स्थापित की गई हैं। नागरिकों एवं गैर सरकारी संगठनों को सम्मिलित करने के अनुदेश जारी कर दिए गये हैं।

12.12 पहचाने गए जोखिमपूर्ण व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में कार्यरत बालकों को मुक्त कराकर विशेष पाठशालाओं के माध्यम से पुनर्वासित करके अंततः उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाना परियोजना का उद्देश्य है। प्रत्येक विशेष विद्यालय 50 बालकों का नाम दर्ज करता है। प्रत्येक विशेष विद्यालय के लिए 2 शैक्षिक अनुदेशक एवं एक व्यावसायिक अनुदेशक का प्रावधान है। प्रत्येक बालक को 100 रु. प्रतिमाह की दर से स्टाइपेण्ड (छात्रवृत्ति) दिया जाता है और प्रत्येक बालक को प्रतिदिन 5 रुपये की दर से दोपहर का भोजन भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देना एवं स्वास्थ्य की जाँच करना स्कीम के अंतर्गत अनिवार्य कर दिया गया है।

12.13 कुल 315911 बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए नवम्बर, 2005 - 2007 तक 6332 विशेष विद्यालयों को स्वीकृति दे दी गई है। स्कीम आरंभ होने से अब तक 3.38 लाख बालकों को मुख्यधारा में लाया गया है।

दसवीं योजना की रणनीति

12.14 बाल श्रम का कारण सामान्यतः निर्धनता एवं व्यापक निरक्षरता समझा जाता है। इसलिए समस्या का समाधान करने के लिए बहुमुखी, एकीकृत एवं समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। समस्या की प्रकृति एवं आकार पर विचार करते हुए जोखिमपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्यरत बालकों को क्रमिक रूप से हटाने और पुनर्वासित करने का दृष्टिकोण अपनाया गया है।

12.15 दसवीं योजना में बाल श्रम समाप्त करो की नीतियाँ एवं कार्यक्रम जारी रहेंगे और उन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान इसे निश्चित किया जाना है कि परियोजना सोसाइटी द्वारा किए गये सर्वेक्षण द्वारा पहचाने गए जोखिमपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्यरत सभी बालक व्यवसाय से निकाले जा रहे हैं और उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाया गया है। सरकार ने निश्चय किया कि जिला स्तर पर प्रवर्तन को प्रभावी बनाकर बाल श्रमियों को इस ढंग से मुख्यधारा में लाया जाए ताकि 10वीं योजना अवधि की समाप्ति तक जोखिमपूर्ण क्षेत्रों से बाल श्रमिकों के संपूर्ण उमूला हासिल किया जा सके।

12.16 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान के साथ उन्हें जोड़कर दसवीं योजना में बाल श्रम बहिष्करण प्रयास मजबूत किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 5-8 वर्ष की आयु-समूह के बाल श्रमिक औपचारिक विद्यालयों के जरिए सीधे मुख्यधारा में लाये जाएंगे। 9 से 14 वर्ष की आयु समूह के बाल श्रमिक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के विशेष विद्यालयों के जरिए औपचारिक शिक्षा प्रणाली से मुख्यधारा में लाए जाएंगे। इसके अलावा, दसवीं योजना के दौरान औपचारिक विद्यालय प्रक्रिया को गुणवत्ता एवं संख्या दोनों ही विषय में मजबूत की जाएगी।

12.17 उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य, जिला, मण्डल एवं लघु स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास/ सा माजिक न्याय मंत्रालय आदि जैसे अन्य मंत्रालयों / विभागों की चालू योजनाओं के साथ एकस्थ करके सम्यग्बद्ध तरीके से बाल श्रम उन्मूलन के उद्देश्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है।

12.18 दसवीं योजना के दौरान कुछ महत्वपूर्ण पैरा मीटरों को जोड़ने / सुदृढ़ बनाने के लिए भी

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम संशोधित कर दी गई है। संशोधित योजना के निम्न प्रावधान हैं ;

12.19 उपर्युक्त रणनीति को अपनाने और प्रवर्तन की वर्तमान संस्थापित प्रक्रियाओं से इसे मिलाने से यह आशा की जाती है कि योजना अवधि की समाप्ति तक बाल श्रमिकों में प्रबल कमी आएगी।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम का मूल्यांकन

12.20 सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों / विभागों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के समग्र पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन के लिए एक केन्द्रीय अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया था। केन्द्रीय अनुवीक्षण समिति के समक्ष राज्य स्तरीय अनुवीक्षण समितियों का गठन करने हेतु राज्य सरकारों को लिखा गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के प्रचालन की गति तथा प्रगति का अनुवीक्षण करने हेतु जिला तथा राज्य स्तर पर कार्रवाई भी की जा रही है। परियोजना संस्था को परियोजना प्रचालन शिक्षकों का चयन तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के विषय तथा विषय साहित्य, अध्ययन प्रतिफल का मूल्यांकन, बालकों को मुख्य धारा में लाने से संबंधित विषयों पर विस्तृत अनुदेश दिए गए हैं।

12.21 2001 में स्वतंत्र एजेसियों द्वारा देश में कार्यरत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का मूल्यांकन करने हेतु विस्तृत प्रयास किया गया। प्रथम चरण में 50 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इस मूल्यांकन प्रयास में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा का सहयोग लिया गया था। दसवीं योजना की रणनीति तैयार करते समय मूल्यांकन अभियान की सिफारिशों को विचार में लिया गया है।

12.22 मूल्यांकन के निष्कर्ष तथा सिफारिश निम्नलिखित हैं :

- अधिकांश क्षेत्रों में, समुदाय ने रा. बा. श्र. प. (एन. सी.एल. पी.) विद्यालयों को खोलने का स्वागत किया।

- अपने बच्चों को विशेष पाठशाला में भेजने के लिए दोपहर का भोजन तथा छात्रवृत्ति

(स्टाइपेंड) का प्रावधान अभिभावकों को प्रेरित करने में मुख्य भूमिका निभा रही है।

- शिक्षकों /प्रशिक्षकों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) द्वारा प्रशिक्षित किए जाने अथवा उन्हें जिला में स्थित डी आई ई टी / डी आर यू द्वारा क्रमबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किए जाने के प्रयास सफल हुए हैं।
- -गौरी योजना में औपचारिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा पद्धति को चुनने का विकल्प जिलों को दिया गया था। यह देखा गया था कि उन जिलों के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना केन्द्रों से औपचारिक पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों को मुख्यधारा में लाना बहुत आसान था।
- अध्यापन - अध्ययन सामग्री की पर्याप्त एवं यथासमय आपूर्ति करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर अथवा कम से कम राज्य स्तर पर एक समान पाठ्यक्रम होने की आवश्यकता की छानबीन की जानी चाहिए।
- बालकों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश करने में मदद करने हेतु उनकी अध्ययन उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से परीक्षाएँ आयोजित करने की आवश्यकता है।
- बालकों को औपचारिक विद्यालयों की मुख्य धारा में लाए जाने के बाद, विद्यालयों में उनकी प्रगति का अनुवीक्षण करने तथा नए पाठ्यक्रम को समझने में हो रही कठिनाइयों का समाधान करने में उनको मदद करने के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है।
- परियोजना सोसाइटी में पूर्णकालिक तथा अंशकालिक परियोजना निदेशक दोनों पाए जाते हैं। रा.बा.श्र.प. की गतिविधियों में गति लाने हेतु पूर्णकालिक परियोजना निदेशक की नितांत आवश्यकता है।
- कुछ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जिलों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के साथ प्रभावी रूप से एकस्थ कर दिया है।

फिर भी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक स्थ को मजबूत करने की आवश्यकता है। जिलाधीशों / परियोजना निदेशकों के साथ संपर्क इंटरफेस

12.23 योजना के क्रिया कलापों की समीक्षा करो के लिए मंत्रालय ए सी एल पी जिला के कलेक्टरों से एवं परियोजना निदेशकों के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन करता रहा है। सम्मेलन के दौरान जिले में योजना के सफल क्रियावय और बाल श्रम बहिष्कार के प्रयासों के संबंध में कलेक्टरों की आलोचनात्मक भूमिका को सुग्राही बाग पर जोर दिया गया। उन्हें उ के जिले में योजना की स्थिति के विषय में सूचित किया गया और योजना को बेहतर रूप से प्रभावी बाग के लिए विभिन्न उपायों से भी अवगत कराया गया। कार्यशाला के दौरान कार्यरत बच्चों को मुक्त करो, पुर्वास और अंतिम रूप से मुख्य धारा में शामिल करो के मुद्दे पर परियोजना सोसाइटी की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई। परियोजना निदेशकों को जिले में चल रही अय विकासशील योजनाओं जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के साथ तारतम्य रखो की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। एसीएलपी जिलों के कलेक्टरों और परियोजना निदेशकों के मध्य विचारों के आदान प्रदान से यह उन्हें बाल श्रम बहिष्करण प्रयासों को अधिक उत्साह एवं प्रतिबद्धता से करो के लिए शिक्षित व प्रोत्साहित करो में मदद करते है।

स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता

12.24 वर्ष 2005 - 06 के दौरान बाल श्रम के पुनर्वास के लिए कार्योन्मुख परियोजनाओं की जिम्मेवारी लेने के लिए सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत 88 स्वैच्छिक संगठनों / गैर सरकारी संगठनों को परियोजना कीमत की 75% राशि की वित्तीय सहायता दी जा रही है। सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों से आवधिक रिपोर्ट केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे इन परियोजनाओं के अनुवीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

12.25 बाल श्रम उन्मूलन के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी विचार - विमर्श किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिसम्बर 1996 में एक निर्णय देते हुए जोखिमपूर्ण व्यवसायों में कार्यरत बालकों को वहाँ से हटाकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था

करने तथा जोखिम रहित व्यवसायों में कार्यरत बालकों की कार्य परिस्थितियों को व्यवस्थित करने तथा सुधारने के संबंध में कुछ स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

12.26 इमें से कुछ निर्देश हैं: (क) छह मास के भीतर जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण किया जाए; (ख) बाल श्रम अधिनियम का उल्लंघन कर बाल श्रमिकों को काम पर लगाने वाले नियोजकों से जुर्माने के रूप में रुपए 20, 000/- की रकम वसूल की जाए; (ग) बाल श्रमिक परिवार के किसी बड़े सदस्य को उसी उद्योग में वैकल्पिक काम दिया जाए जहाँ बालक काम करता था; अथवा जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे प्रत्येक बाल श्रमिक को संबंधित सरकार द्वारा रुपए 5000/- की राशि का भुगतान किया जाए; (घ) काम से निकाले गए बालकों के परिवार को समग्र निधि के रुपए 25,000/- (रुपए 20,000/- नियोजक के तथा रुपए 5,000/- सरकार के) की समस्त आय दी जाए; (ङ) बाल श्रमिकों को काम से निकालने के बाद शिक्षा दिलाने के लिए उपयुक्त संस्था में भेजने का प्रावधान किया जाए (च) बाल श्रम पुनर्वास - सह - कल्याण निधि का गठन किया जाए; (छ) उपर्युक्त निर्देशों को सुनिश्चित करने हेतु अनुवीक्षण की दृष्टि से संबंधित सरकार के श्रम विभाग में एक अलग कक्ष का गठन किया जाए।

1

12.27 मई, 1997 को सर्वोच्च न्यायालय ने बाल श्रम को पहचानने, मुक्त करने तथा पुनर्वास करने के संबंध में अनेक निर्देश दिए हैं। ये निर्देश उत्तर प्रदेश राज्य में कालीन उद्योगों में बालकों के नियोजन के प्रसंग में न्यायालय द्वारा दिए गये थे।

12.28 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है तथा राज्य / संघ प्रदेश सरकारों से समय-समय पर प्राप्त सूचना के आधार पर निर्देश के अनुपालन की स्थिति माननीय न्यायालय को बताई जा रही है।

बाल श्रम पर राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (बा. श्र. रा. सं. क.)

12.29 श्रम और रोजगार मंत्रालय एवं यूनीसेफ की वित्तीय सहायता से मार्च, 1993 में वी. वी. गिरि, राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, उ.प्र. में बाल श्रम पर

राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (एन. आर. सी. सी. एल) की स्थापना की गई। केन्द्र को बाल श्रम पर प्रलेखीकरण, आंकड़ों (डाटा बैंक) की रचना एवं प्रकाशन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, मीडिया प्रबंधन एवं तकनीकी समर्थन सेवाएं आदि कार्य सौंपा गया है। केन्द्र का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, नीति निर्माताओं एवं बाल श्रम के क्षेत्र में लगे अन्य सामाजिक समूहों को भारत में बाल श्रम के प्रगामी उन्मूलन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, समर्थन, मीडिया प्रबंधन, प्रलेखीकरण, प्रकाशन एवं वितरण के माध्यम से सहायता प्रदान करना। बाल श्रम पर राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (एन.आर.सी. सी. एल.) बाल श्रम परियोजनाओं में लगे कार्मिकों के लिए अभिविन्यास एवं संवेदनशील कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है।

बाल के उमूला अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपेक)

12.30 बाल श्रम बहिष्करण पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा दिसम्बर, 1991 में आरंभ किया गया। सन् 1992 में इस कार्यक्रम में शामिल होने वाला पहला देश भारत था जिसने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। दिनांक 31.12.1996 को समाप्त समझौता ज्ञापन की अवधि को बाद में समय - समय पर बढ़ा दिया गया है और हाल ही में इसे सितम्बर, 2006 तक बढ़ा दिया गया है। आईपेक का दीर्घ कालिक उद्देश्य बाल श्रम के प्रभावी उन्मूलन में योगदान प्रदान करना है। इसके तात्कालिक उद्देश्य निम्न हैं :

- बाल श्रम बहिष्करण के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने, कार्यान्वयन करने एवं मूल्यांकन करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के घटकों एवं गैर सरकारी संगठनों की क्षमता को बढ़ाना;
- समुदाय एवं राष्ट्रीय स्तरों पर अनुकरण योग्य मध्यस्थताओं को पहचानना; और
- बाल श्रम बहिष्करण के अनुकूल जागरूकता उत्पन्न करना एवं सामाजिक परिवर्तन लाना।

12.31 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिनिधियों, दाताओं एवं सहभागी देशों से बनी कार्यक्रम संचालन समिति आईपेक की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समिति है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर श्रम और रोजगार सचिव की

अध्यक्षता में राष्ट्र संचालन समिति गठित की गई है। यह त्रिपक्षीय संगठन है जिसके गैर - सरकारी संगठन के प्रतिनिधि भी सदस्य हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति की सन् 2004 में 2 जुलाई एवं 24 अगस्त, 2004 को 02 बैठकें आयोजित की गईं। भारत के बाल श्रम बहिष्करण पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 1992-2002 तक चला जिसमें 165 एक्शा कार्यक्रमों को सहयोग दिया गया।

इंडस परियोजना

12.32 भारत सरकार एवं अमेरिका का श्रम विभाग ने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जैसे पाँच राज्यों के 21 जिलों में 10 जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में बाल श्रम उन्मूलन के उद्देश्य से 40 मिलियन अमेरिकी डालर से परियोजना भी आरंभ कर दिया है। इस परियोजना का प्रचलित नाम इंडस है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना द्वारा अनुमानतः 80,000 बालकों को मुक्त कराकर उन्हें पुनर्वासित कराया जाएगा। भूतपूर्व बाल श्रमिकों के 10,000 परिवारों को सहायता भी दी जाएगी। (21 जिलों की सूची तालिका 12.2 में दी गई है)

राध प्रदेश परियोजना

12.33 इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने आन्ध्रप्रदेश में राज्य पर आधारित परियोजना के प्रथम चरण को कार्यान्वित भी कर दिया है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने आन्ध्रप्रदेश परियोजना के दूसरे चरण को भी अनुमोदित कर दिया है। दूसरे चरण में राज्य के दो सबसे अधिक बाल श्रमिक वाले जिलों अर्थात् महबूबनगर एवं कर्नूल पर परियोजना ध्यान देगी। परियोजना शहरी क्षेत्रों की विशेष समस्याओं पर भी ध्यान देगी और हैदराबाद शहर के लिए रणनीति तैयार करने का प्रयास करेगी।

कार्ताक परियोजना

12.34 ये राज्य आधारित परियोजना राज्य के दो जिलों में क्रियावित की जाएगी, अर्थात् छामाराजागर और बिदर। इस परियोजना का वित्त पोषण इटली सरकार द्वारा किया जा रहा है और इस का बजट यू. एस 3.29 फ़िलियन है। यह परियोजना पहले ही प्रारम्भ हो चुकी है।

और इसकी अवधि तीस वर्ष है। इस परियोजना में ए सी एल पी योजना की सभी पहलुओं को कुछ वृद्धियों के साथ क्रियावित किया जाएगा। भविष्य में अय क्षेत्रों में लागू करो के लिए इस परियोजना के अंतर्गत प्रायोगिक आधार पर हस्ताक्षर किया जायेगा।

• गी. ओ.आई. - यू.सी.सेफ संयुक्त मास्टर प्लान

12.35 भारत सरकार और यू.सी.सेफ के बीच बाल संरक्षण के कार्यक्रम पर संयुक्त मास्टर प्लान के अंतर्गत यह मंत्रालय बाल श्रम को समाप्त करो संबंधी गतिविधियों को क्रियावित कर रहा है। इन गतिविधियों के लिए पैसा यू.सी.सेफ देगा। और इस का वर्तमान बजट यू.एस. डालर 12,000 है। मुख्य गतिविधियों में ए सी एल पी में बालकों को मापने के लिए शैक्षणिक सिस्टम का विकास और बाल श्रम पर राष्ट्रीय संचार रणनीति का विकास शामिल है। शैक्षणिक ट्रेकिंग

सिस्टम का आदर्श प्रारूप पहले ही विकसित किया जा चुका है और कार्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में फील्ड परीक्षण आयोजित किए जा रहे हैं।

12.36 हाल ही में आयोजित आइपेक कार्यक्रम संचालन समिति की बैठक सहित विभिन्न फोरमों में बल दिया गया है कि सदस्य राज्यों की राष्ट्रीय नीतियों, प्राथमिकताओं एवं कार्यक्रमों के संयोजन से आइपेक की गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए। सम्बन्धित सदस्य राज्य को चाहिए कि वे आइपेक के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों की पूरी जानकारी रखें। राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा सिफारिश किए गए सभी प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए और समय से मंजूरी की सूचना के साथ - साथ धन भी दे देना चाहिए। भारत में आइपेक की गतिविधियों हेतु निधि बढ़ाने की आवश्यकता और विशिष्ट परियोजनाओं के बजाए मूल निधि हेतु अंशदान देने पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अतर्गत दायरे में लिए गए जिलों की राज्यवार सूची

तालिका 12.1

क्रमांक	राज्यों का नाम	जिलों की सं०	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अतर्गत कवर्ड जिलों के नाम
1	तमिऴुप्रदेश	23	तमिऴुनाऴपुर, चित्तूर, कडपा, ईस्ट गोदावरी, गुण्टूर, हैदराबाद, करी मनगर, कर्नूल, मेदक, नलगोणडा, खम्मम, नेल्लूर, निजामाबाद, रंगारेडुडी, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखपट्टणम, वरंगल, वेस्ट गोदावरी, महबूबनगर, आदिलाबाद तथा कृष्णा ।
2	तमिस	3	गौगांव, कोकराझार, लखीमपुर
3	बिहार	24	मालंदा, सहरसा, जमुई कटिहार, अररिया, गया, पूर्व चम्पारन, पश्चिम, चम्पारन, मधेपुरा, पटना, सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नवादा, खगरिया, सीतामढ़ी, किशनगंज, बेगुसराय, बंका, सारन, पूर्णिया, भागलपुर
4	तीसगढ़	8	दुर्ग, बिलासपुर, राजनंदगाँव, सुरगुजा, रायगढ, दांतेवाड़ा, रायपुर, कौरवा
5	गोवा	1	गोवा
6	गुजरात	9	सूरत, पंचमहल, भुज, बासकांठा, दाहोद, बड़ोदरा, भावागर, अहमदाबाद, राजकोट
7	हरियाणा	3	गुड़गांव, फरीदाबाद, पापीपत
8	गम्मू एवं कश्मीर	3	गम्मू, श्रीनगर, उधमपुर
9	— छत्तीसगढ़	9	गढवाह, साहिबगंज, दुमका, पाकुर, पश्चिम सिंघभूम (चाइबासा) गुमला, पलामू, रांची, हजारीबाग
10	कर्नाटक	17	बीजापुर, रायचूर, धारवाड़, बेंगलूर रूरल, बेंगलूर अरबन, बेलगाम, कोप्पल, तुमकूर, दावनगेरे, हवेरी, मैसूर, बागलकोट, चित्रदुर्गा, तुलबर्गा, बेल्लारी, कोलार, माण्ड्या

11	मध्यप्रदेश	17	मंदसौर, ग्वालियर, उज्जैन , बरवनी, रीवा, धार, पूर्वी निमर, राजगढ़, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सिध, गुना, (खारगांव)बैतूल, शाजपुर, रतलाम, पश्चिम निमर, झबुआ
12	महाराष्ट्र	13	सोलापुर, थाणे, पुणे, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापुर, जलगाँव, नन्दूरबार, नांदेड, नासिक, यावतमाल, धुले, बीड
13	मिजोरम	1	†इजवल्ल
14	ागालैण्ड	1	दीमापुर
15	उड़ीसा	18	†गुल, बारगढ़, बोलंगीर, देवगढ़, गजपति (उदयगिरि), गंजाम, झारसुगुडा, कालाहाण्डी, कोरापुट, मल्कनगिरि, मयूरभंज, नबरंगपुर,नुआपाढा, रायगडा, सम्बलपुर, सोनेपुर, कटक, बालासोर
16	पंजाब	3	•गालंधर, लुधियाना, अमृतसर
17	राजस्थान	23	•यपुर, उदयपुर, टोंक, जोधपुर, अजमेर, अलवर , जलोर, चुरु, नागौर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, सिकर, डुंगरपुर, भरतपुर, बिकानेर, झुनझू, बुंदी, झालावार, पाली, भिलवाड़ा, गंगानगर, बाड़मेड
18	तमिलनाडु	13	चिदम्बरनार (तुतीकोरिन), कोयम्बतूर, धर्मपुरी, वेल्लोर, पुदुकोट्टे, सेलम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेल्वेली , कृष्णागिरि, चेन्नै, ईरोड, दिंडिगल तथा थोी
19	उत्तरप्रदेश	42	वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, बुलंदशहर, (खुर्जा), सहारनपुर, आजमगढ़ , मुजफ्फरागर, गोण्डा, खीरी, बहराइच, बलरामपुर, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, फैजाबाद, बदायूँ, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, रायबरेली, उन्नाव, सुल्तानपुर, फतेहपुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, बस्ती, सोनभद्र, मऊ, देवरिया, बांदा, गाजियाबाद, जौनपुर,रामपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, इटावा, आगरा, गाजीपुर, मथुरा, तथा एटा
20	उत्तरांचल	1	देहरादून
21	पश्चिम बंगाल	18	बर्दवान, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, मेदिनापुर, माल्दा, बांकुरा, पुरुलिया, बीरभूम, नोदिया, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ईस्ट मेदिनापुर
	कुल	250	

टोट : मोटे अक्षरों में लिखे जिले वे जिले हैं जिहें दसवीं योजा के दौराा एसीएलपी योजा के अतर्गत च्याा गया।

सूक्ष्म परियोजना(21) के अंतर्गत कवर्ड जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों के नाम
1	मध्य प्रदेश	दामोह, सागर, जबलपुर, सता, और कटी (5)
2	महाराष्ट्र	मरावती, जौ, औरंगाबाद, गोदिया तथा मु म्बई (उपागरिया) (5)
3	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद, इलाहाबाद, कापुर, अलीगढ़ और फिरोजाबाद(5)
4	तमिलनाडु	कांचीपुरम, तिरुवामल्लई, तिरुवल्लूर, ग मांकल तथा विरुद्धागर
5	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	(1)